REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-01102021-230104 CG-MH-E-01102021-230104

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

\_\_\_\_\_\_

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] No. 425] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/ आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 22 सितंबर, 2021

## सहायक सामान्य बही खाता : पात्रता मानदंड एवं परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

सं. आईडीएमडी. सीडीडी. एस 788/11.22.001/2021-22.—सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) (अधिनियम) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) एतद्द्वारा सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल) को खोलने और बनाए रखने के लिए अब से लागू शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

l. सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल) का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों में धारिता अथवा लेन-देन के लिए बैंक के पास खोला और रखा गया खाता।

II. बैंक यथावश्यक अपने परिचालन और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसे बैंक आवश्यक समझता है, एसजीएल खातों को खोल सकता है और बनाए रख सकता है।

III. पात्र संस्थाएं:

निम्नलिखित संस्थाएं बैंक में एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने के लिए पात्र हैं-

- i. लाइसेंसीकृत बैंक
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारी
- iii. भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-I (सी) (ii) के अनुसार परिभाषित वित्तीय संस्थाएं

5554 GI/2021

- iv. केंद्र सरकार
- v. राज्य सरकारें
- vi. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित बीमा कंपनियाँ
- vii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा नियमित म्युचुअल फंड
- viii. भविष्य एवं पेंशन निधि और पेंशन निधि प्रबन्धक
- ix. बैंक के पूर्वानुमोदन से विदेशी केंद्रीय बैंक
- x. निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत परिभाषित निक्षेपागार
- xi. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल)
- xii. बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत ऐसी अन्य संस्थाएं।

# IV. एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने के लिए शर्तें:

i. एक पात्र संस्था को, सामान्य परिस्थितियों में, केवल एक एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने की अनुमति होगी। कुछ मामलों में, बैंक अतिरिक्त एसजीएल खातों को खोलने की अनुमति दे सकता है। एसजीएल खाता आरबीआई के द्वारा समय-समय पर निर्धारित लोक ऋण कार्यालय में खोला जा सकता है।

ii. ऐसे मामले जहां खाते विनियामकीय/मार्जिन को रखने के प्रयोजन से खोले जाने अपेक्षित हैं, को छोड़कर, बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के बिना कोई एसजीएल खाता धारक किसी ग्राहक सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) के साथ ग्राहक खाता को खोलने के लिए पात्र नहीं होगा।

iii. बैंक से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करके एसजीएल से संबन्धित लेन-देन के संबंध में राशियों के निपटान हेतु एसजीएल खाताधारक को बैंक के साथ चालू खाता रखने की अनुमति दी जा सकती है। एसजीएल खाता धारक के पास किसी भी निर्धारित निपटान बैंक में निपटान खाता रखने का भी विकल्प है।

iv. एसजीएल खाता खोलने वाली संस्था को आवेदन फॉर्म, क्षतिपूर्ति बॉन्ड और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

v. दिशानिर्देशों के पैराग्राफ vi में उल्लिखित प्रावधान को छोड़कर, एसजीएल खाते से/को प्रतिभूति का अंतरण, सुपर्दगी बनाम भुगतान आधार पर होगा।

vi. मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी): इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण का तात्पर्य आरबीआई के बही खाता में प्रतिभूतियों का एक एसजीएल खाते से अन्य एसजीएल या सीएसजीएल खाते में अंतरण बिना संबन्धित भुगतान के होंगे। प्रतिभूतियों का मूल्यनिरपेक्ष अंतरण बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से एसजीएल धारकों द्वारा प्रभावी किया जाएगा।

vii. एसजीएल खाते को खाता धारक द्वारा एक अनुरोध प्रस्तुत करके बंद किया जा सकता है, जिसमें बंद करने का कारण दिया गया हो, और एसजीएल खाते में धारित सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में बैंक द्वारा की जाने वाली किसी कार्रवाई का उल्लेख हो।

viii. एसजीएल धारक सतत आधार पर इन दिशानिर्देशों का अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं करने पर, बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान होंगे। इस प्रभाव के लिए घोषणा पीडीओ, मुंबई को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

ix. बैंक, एसजीएल खाता धारक को एसजीएल खाते से संबन्धित सूचना या ब्योरे अथवा एसजीएल खाते में लेनदेन से संबंधित सूचना या ब्योरे किसी भी समय ऐसे फॉर्म में, किसी भी समय-अंतराल पर और किसी अवधि में, ऐसे विवरणों को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकता है। x. संबंधित संस्था द्वारा एसजीएल सुविधा का किसी प्रकार के दुरुपयोग पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 में उपलब्ध दंडों के अलावा अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट ऐसे खाते को धारण करने से उस संस्था को रोक दिया जाएगा।

xi. रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित अथवा देश की वित्तीय प्रणाली के हित में ऐसा करना अनिवार्य है, किसी भी एसजीएल खाताधारक या एसजीएल खाताधारकों की किसी श्रेणी को या तो सामान्य तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए, इसके द्वारा अधिरोपित किए जाने के लिए उचित और सही समझी गई शर्तों या निबंधनों या सीमाओं या प्रतिबंधों के तहत इन निदेशों के किसी या सभी प्रावधानों से छुट दे सकता है।

xii. ये दिशानिर्देश बैंक द्वारा 29 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 1078 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण - भाग III - खंड 4) के माध्यम से जारी पूर्व दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं।

आर सुब्रमण्यम, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./292/2021-22]

### RESERVE BANK OF INDIA NOTIFICATION

#### Mumbai, the 22nd September, 2021

### Subsidiary General Ledger Account: Eligibility Criteria and Operational Guidelines

**No. IDMD.CDD.S788/11.22.001/2021-22.**—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) (the Act), the Reserve Bank of India (the Bank) hereby specifies the conditions applicable henceforth for opening and maintenance of a Subsidiary General Ledger (SGL) account.

**I.** A Subsidiary General Ledger (SGL) Account shall mean an account opened and held with the Bank for holding or/and transacting in Government Securities.

**II.** The Bank may open and maintain SGL accounts for conduct of its operations and for such purposes the Bank may deem necessary.

#### **III. Eligible Entities:**

The entities mentioned below are eligible to open and maintain an SGL account with the Bank:

- i. Licensed Banks
- ii. Primary Dealers authorised by Reserve Bank of India
- Financial institutions as defined in terms of Section 45-I (c) (ii) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)
- iv. Central Government
- v. State Governments
- vi. Insurance Companies regulated by Insurance Regulatory and Development Authority
- vii. Mutual Funds regulated by Securities and Exchange Board of India
- viii. Provident and Pension Funds and Pension Fund Managers
- **ix.** Foreign Central Banks with prior approval of the Bank
- x. Depositories as defined under the Depositories Act 1996
- xi. Stock Holding Corporation of India (SHCIL)
- xii. Such other entities as may be allowed by the Bank from time to time.

#### IV. Conditions for Opening & Maintenance of the SGL account:

**i.** An eligible entity, will in normal circumstances, be allowed to open and maintain only one SGL account. In certain cases, the Bank may allow an entity to open additional SGL accounts. An SGL account can be opened at its Public Debt Offices, as may be decided by the Bank from time to time.

**ii.** An SGL account holder shall not be eligible to open a constituent account with any Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account holder without specific approval from the Bank except in cases where the accounts are required to be opened for regulatory/margin maintenance purposes.

**iii.** An SGL account holder may be allowed to maintain a current account with the Bank to settle the funds in respect of transactions pertaining to the SGL account subject to obtaining specific approval of the Bank. An SGL account holder also has the option to maintain a settlement account with any designated settlement bank.

**iv.** The entity opening an SGL account shall submit an application form, indemnity bond and such other documents, as may be decided by the Bank from time to time.

**v.** The transfer of securities from/to an SGL account shall be on Delivery versus Payment basis, except as provided in paragraph vi. of the guidelines.

vi. Value Free Transfer (VFT): For the purpose of these guidelines, Value Free Transfer (VFT) of the securities shall mean transfer of securities from one SGL account to another SGL or CSGL account without corresponding payment leg in the books of RBI. Value Free Transfers of securities shall be effected by SGL holders in the manner as may be prescribed by the Bank.

vii. An SGL account can be closed by the account holders by submitting a request mentioning therein the reason(s) for closure and action, if any, required to be taken by the Bank in respect of the Government securities held in such an SGL account.

**viii.** The SGL holders shall abide by these Guidelines on a continuous basis. Any failure to do so will attract appropriate action by the Bank including application of penal provisions under Section 30 of the Act. A declaration to this effect shall be submitted to PDO, Mumbai on an annual basis.

**ix.** The Bank may at any time direct an SGL account holder to furnish to the Bank, in such form, at such intervals and within such time, such statements, information or particulars relating to the SGL account or connected with transactions in the SGL account.

**x.** Any misuse of the SGL facility by the entity concerned, will make the entity liable to be debarred from holding of such an account as mentioned in Section 27 of the Act, in addition to inviting the penalties as provided in Section 30 of the Act.

**xi.** The Reserve Bank, on being satisfied that it is necessary to do so, may exempt any SGL account holder or a class of SGL account holders either generally or for such period as may be specified, from any or all of the provisions of these Guidelines, subject to such terms or conditions or limitations or restrictions as it may think fit and proper to impose, in the interest of public or financial system of the country.

**xii.** These guidelines are issued in supersession of the earlier guidelines issued by the Bank vide Notification No. 1078 dated October 29, 2018 (published in The Gazette of India – Extraordinary – Part III – Section 4).

R. SUBRAMANIAN, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./292/2021-22]

## अधिसूचना

### मुंबई, 22 सितंबर, 2021

### ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता : पात्रता मानदंड और परिचालन संबंधी दिशनिर्देश

**सं. आईडीएमडी.सीडीडी.एस788/11.22.001/2021-22.—** सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 की

38) (अधिनियम) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक(बैंक) एतद्दवारा ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) खोलने और उसे बनाए रखने के साथ उसके ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सीएसजीएल खाताधारकों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए अब से लागू शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

l. ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) का तात्पर्य किसी एजेंट द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से बैंक के साथ खोला गया और बनाए रखा जाने वाला सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल) होगा;

II. बैंक, अपने परिचालनों और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें वह आवश्यक समझता है, सीएसजीएल खाता खोल सकता है और बनाए रख सकता है।

### III. पात्र संस्थाएं:

निम्नलिखित संस्थाएं अपने ग्राहकों की ओर से बैंक में सीएसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने के लिए पात्र हैं, जिन्हें गिल्ट खाता धारक (जीएएच) के नाम से भी जाना जाता है:

- i. लाइसेन्सीकृत बैंक जिनकी कुल न्यूनतम मालियत 100 करोड़ रुपए हो
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारी
- iii. निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत परिभाषित निक्षेपागार

- iv. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड अथवा बैंक द्वारा यथाअनुमोदित अन्य समाशोधन निगम
- v. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- vi. स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल)
- vii. बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत ऐसी अन्य संस्थाएं

## IV. सीएसजीएल खाता धारकों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले परिचालन संबंधी दिशानिर्देश:

i. एक पात्र संस्था को, सामान्य परिस्थितियों में, केवल एक सीएसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने की अनुमति होगी। कुछ मामलों में, बैंक अतिरिक्त सीएसजीएल खातों को खोलने की अनुमति दे सकता है। किसी ग्राहक को बैंक के साथ एसजीएल खाता खोलने और बनाए रखने करने की अनुमति नहीं है। (बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के बाद अथवा विनियामकीय/मार्जिन के प्रयोजन से खोले गए एसजीएल खाता को छोड़कर)।

ii. सीएसजीएल खाताधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन ग्राहकों के लिए गिल्ट खाते खोले/बनाए रखे जाते हैं, वे सरकार द्वारा जारी सामान्य ऋण अधिसूचनाओं तथा विशिष्ट ऋण अधिसूचनाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों को धारित करने लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं ।

iii. सीएसजीएल खाता धारक जो बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, समय-समय पर यथालागू बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (नो योर कस्टमर)' संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। अन्य सीएसजीएल खाता धारकों को उनके संबंधित विनियामकों द्वारा जारी केवाईसी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। सीएसजीएल धारक के साथ खोले गए गिल्ट खातों की एक अलग विशिष्ट संख्या होगी।

iv. किसी ग्राहक को किसी भी सीएसजीएल खाता धारक के साथ एक या एक से अधिक गिल्ट खाता खोलने की अनुमति है। यह अनुमति ग्राहक के संबंधित विनियामकों जैसे सेबी, आईआरडीए, पीएफ़आरडीए आदि द्वारा उनके परिचालन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों, यदि कोई हो, के अधीन होगी।

v. दिशानिर्देशों के पैराग्राफ vi में उल्लिखित प्रावधान को छोड़कर, सीएसजीएल खाते से/को प्रतिभूतियों का अंतरण सुपुर्दगी बनाम भुगतान के आधार पर होगा।

vi. मूल्य निरपेक्ष अंतरण(वीएफटी) – इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण का तात्पर्य आरबीआई के बही खाता में प्रतिभूतियों का एक सीएसजीएल खाते से अन्य एसजीएल या सीएसजीएल खाते में अंतरण बिना संबन्धित भुगतान के होंगे। सीएसजीएल धारकों द्वारा प्रतिभूतियों का मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से प्रभावी किया जाएगा।

vii. सीएसजीएल खाताधारकों के पास खातों को रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की उपयुक्त ढांचा होना चाहिए और अपने ग्राहकों की ओर से सौदा करने के लिए पर्याप्त आकस्मिक/बैक-अप योजना हो ताकि कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। आईटी ढांचे की प्रत्येक वर्ष प्रमाणित पेशेवरों द्वारा लेखा-परीक्षा (ऑडिट) की जाएगी और यदि उनके द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो उसका तत्काल अनुपालन किया जाएगा।

viii. सीएसजीएल खाताधारक अपने ग्राहकों के साथ एक करार निष्पादित करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिनके तहत वे प्रतिभूतियों को स्वीकार/जारी करेंगे और ग्राहकों की ओर से निधि स्वीकार/जारी करेंगे, साथ ही ग्राहकों के अधिकार और दायित्व और ग्राहकों को उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का भी उल्लेख होगा।

ix. सीएसजीएल खाताधारक यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों से संबंधित सौदे/ लेनदेन संबंधित ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे और अपने ग्राहकों से प्राप्त ऐसे निर्देशों के उचित अभिलेख रखेंगे। तदनुसार, सीएसजीएल खाता धारक सीएसजीएल खाते में सरकारी प्रतिभूतियों को समंजित करने अथवा अन्यथा ग्राहक से लिखित सहमति के बिना उनके द्वारा देय किसी भी राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उक्त खाते के प्रयोग से परहेज़ करेंगे। x. सीएसजीएल खाताधारक, सीएसजीएल खाता से/को सरकारी प्रतिभूतियों की आवाजाही के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार होगा और ग्राहक या बैंक द्वारा मांगे जाने पर सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराएगा।

xi. सीएसजीएल खाता धारक लेनदेन की तारीख को संबंधित ग्राहकों के मार्फत की गई प्रत्येक खरीद /बिक्री संबंधी लेनदेन के लिए एक सौदा पर्ची जारी करेंगे/पोस्ट करेंगे, जिसमें सौदे के विवरण जैसे- आईएसआईएन, लिखत का नाम, खरीद/बिक्री की मात्रा, खरीद/बिक्री मूल्य, सेवा शुल्क इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा, सीएसजीएल खाताधारक करार के अनुसार प्रत्येक ग्राहक के विशेष अनुरोध पर भी प्रत्येक ग्राहक को सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया/लेनदेन विवरण का उल्लेख करते हुए जानकारी भेजेगा और ग्राहक से शेष की पुष्टि संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

xii. सीएसजीएल खाताधारक ग्राहक के निधि खाते में देय तिथि पर ब्याज/शोधन आय की देय राशि के साथ जमा करेगा और सत्यापन के लिए इसका उचित अभिलेख रखेगा।

xiii. सीएसजीएल खाताधारक, ग्राहक की ओर से किए गए प्रत्येक सौदे के निपटान के लिए उत्तरदायी होगा और प्रतिभूतियों/निधियों में किसी भी कमी को एसजीएल खाता का सौदा माना जाएगा जिसे सीएसजीएल खाताधारक द्वारा नकार दिया गया हो। इसके अलावा, सीएसजीएल खाता धारक, ग्राहकों की ओर से किसी भी सौदे को प्रस्तुत करने से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त ग्राहक बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह के लेनदेन/सौदा करने के लिए पात्र है।

xiv. सीएसजीएल खाताधारकों के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित भलीभांति प्रलेखित परिचालन मैनुअल होगा जिसमें डीलरों/मध्य-कार्यालय/बैक-ऑफिस की भूमिकाओं / जिम्मेदारियों और ग्राहक की तरफ से उचित सौदा सुनिश्चित करने के लिए परिणामी नियंत्रण और संतुलन का उल्लेख किया गया हो ताकि इस तरह के संरक्षकीय व्यवसाय से सीएसजीएल खाताधारक के साथ-साथ ग्राहकों को उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को दूर किया जा सके।

xv. सीएसजीएल खाता धारक ई-कुबेर डेटा एवं उनके द्वारा रखे जा रहे ग्राहक-वार धारिता ब्योरे की तुलना के अनुसार उनके सीएसजीएल खाते में बकाया शेषों के दैनिक समाधान करके सुनिश्चित करेंगे। बकाया शेष राशि में किसी भी विसंगति को तत्काल ई-कुबेर हेल्पडेस्क, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) और लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) मुंबई की जानकारी में लाया जाएगा ताकि अगले दिन के अंत से पहले शेष राशि का समाशोधन किया जा सके।

xvi. सीएसजीएल खाता धारकों को अपने सीएसजीएल खाते के परिचालन तथा अपने ग्राहकों के गिल्ट खातों में लेनदेन को अपने समवर्ती लेखा परीक्षकों के दायरे में लाना होगा, जो सीएसजीएल खातों के लेनदेन संबंधी अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पहलुओं को सत्यापित करेंगे और अपनी टिप्पणी देंगे:

- क) ग्राहक के खाता को खोलने के लिए दस्तावेजों को पूरा करना;
- ख) संबन्धित ग्राहक द्वारा सीएसजीएल खाते में प्रत्येक लेन-देन का प्राधिकार और नियत तारीख पर ग्राहक के गिल्ट खाते में खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को जमा/नामे करना;
- ग) प्रत्येक लेन-देन हेतु ग्राहकों के लिए समय-समय पर नामे/जमा सूचना जारी करना;
- घ) दैनिक आधार पर ग्राहक-वार धारिता के विवरण की तुलना में सीएसजीएल खाते में बकाया शेष का समाधान;
- ङ) छमाही आधार पर ग्राहक से शेष की पुष्टि के संबंध में प्रमाणपत्र की प्राप्ति;
- च) नियत तारीख पर ग्राहक के निधि खाते में ब्याज/मोचन से प्राप्त राशि को जमा करना; और
- छ) बैंक द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों की पात्रता सुनिश्चित करना, सौदा/लेन-देन को पूरा करना और लेन-देन का मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुरूप होना।

xvii. सीएसजीएल खाता धारक बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को त्रैमासिक आधार पर या उससे भी कम अंतराल पर सीएसजीएल खाते के संबंध में समवर्ती लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। सीएसजीएल खाताधारक एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए दैनिक समाधान संबंधी कार्रवाई को बोर्ड की लेखा-समिति, लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), मुंबई (pdomumbai@rbi.org.in).के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

xviii. बैंक, सीएसजीएल खाता धारक को किसी भी समय ऐसे फॉर्म में, किसी अंतराल पर और किसी भी अवधि में, ऐसी जानकारी, सीएसजीएल खाते से संबन्धित सूचना या विवरण एसजीएल खाते में लेन-देन के साथ ग्राहकों के लेन-देन को बैंक को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकता है।

xix. सीएसजीएल खाताधारक अनुलग्नक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ग्राहक-वार धारिता विवरण, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23 वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई – 400001 को तिमाही आधार पर (ईमेल आईडी: cgmidmd@rbi.org.in) 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार, अगले महीने के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत करेंगे।

xx. सीएसजीएल खाताधारकों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को ब्रोकर्स सहित ग्राहकों की ओर से सीएसजीएल खाते में निवेश की छमाही समीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग में प्रस्तुत करनी होंगी।

xxi. सीएसजीएल धारक सतत आधार पर इन दिशानिर्देशों का अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं करने पर, बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान लागू होगा। इस आशय की घोषणा वार्षिक आधार पर पीडीओ, मुंबई को प्रस्तुत की जाएगी।

xxii. इन दिशानिर्देशों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, सीएसजीएल खातों के खोलने और बनाए रखने संबंधी नियमों और शर्तों का उल्लंघन या संबंधित संस्था द्वारा सीएसजीएल सुविधा का दुरुपयोग या समय-समय पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 में प्रवाधान किए गए दंड के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के पास अधिनियम की धारा 27 में उल्लिखित सीएसजीएल खाता धारक के अस्थायी या स्थायी निलंबन सहित कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

xxiii. रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित अथवा देश की वित्तीय प्रणाली के हित में ऐसा करना अनिवार्य है, किसी भी सीएसजीएल खाताधारक या सीएसजीएल खाताधारकों की किसी श्रेणी को या तो सामान्य तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए, इसके द्वारा अधिरोपित किए जाने के लिए उचित और सही समझी गई शर्तों या निबंधनों या सीमाओं या प्रतिबंधों के तहत इन निदेशों के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकता है।

xxiv. ये दिशानिर्देश बैंक द्वारा 29 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 1078(भारत के राजपत्र में प्रकाशित – असाधारण – भाग III-खंड 4) के माध्यम से जारी पूर्व दिशनिर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं।

आर सुब्रमण्यम, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./292/2021-22]

	•
अन्	बध

	को समाप्त तिमाही पर									
	गिल्ट खाते में रखी गयी सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व स्वरूप का विवरण									
सीएस	्रातमू।तया क स्वा।मत्व स्वरूप का विवरण सीएसजीएल खाता धारक का नाम:									
	सीएसजीएल खाता संख्या:									
				· · · ·						
क्र.सं.	ग्राहक का नाम	निवेशक समूह @	प्रतिभूति का	आईएसआईएन	अंकित मूल्य					
			प्रकार^							
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

@ वाणिज्यिक बैंक/ राज्य या जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक/म्युचुअल फंड/बीमा कंपनियाँ/वित्तीय संस्थाएं/कॉर्पोरेटस/एचयुएफ़/व्यक्ति/एफ़पीआई/भविष्य निधियाँ/ अन्य

^ केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ/टी-बिल्स/राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ/अन्य (कृपया उल्लेख करें)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd September, 2021

### Constituents' Subsidiary General Ledger Account: Eligibility Criteria and Operational Guidelines

**No. IDMD.CDD. S788/11.22.001/2021-22.**—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) (the Act), the Reserve Bank of India (the Bank) hereby specifies the conditions applicable henceforth for opening and maintenance of a Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account, as also the records to be maintained and procedures to be adopted by the CSGL account holders for safeguarding the interests of their constituents.

**I.** A Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) shall mean a subsidiary general ledger (SGL) account opened and maintained with the Bank by an agent on behalf of the constituents of such agent;

**II.** The Bank may open and maintain CSGL accounts for conduct of its operations and for such purposes the Bank may deem necessary.

#### **III. Eligible Entities:**

The entities mentioned below are eligible to open and maintain a CSGL account with the Bank on behalf of their constituents-also known as 'Gilt Account Holders' (GAHs):

i. Licensed banks with minimum net worth of Rs.100 cr.

- ii. Primary Dealers authorised by Reserve Bank of India
- iii. Depositories as defined under Depositories Act 1996
- iv. Clearing Corporation of India Limited or other Clearing Corporations as may be approved by the Bank
- v. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
- vi. Stock Holding Corporation of India Ltd (SHCIL)
- vii. Such other entities as may be allowed by the Bank from time to time.

#### IV. Operational Guidelines to be complied with by the CSGL Account Holders

**i.** An eligible entity will, in normal circumstances, be allowed to open and maintain only one CSGL account. In certain cases, the Bank may allow an entity to open additional CSGL accounts. A constituent is not permitted to open and maintain an SGL account with the Bank (except when the SGL account has been opened after specific approval of the Bank or for regulatory/margin purposes).

**ii.** The CSGL account holders shall ensure that the constituents for whom the gilt accounts are opened/maintained satisfy the eligibility conditions for holding Government securities in terms of the General Loan Notifications as also the specific Loan Notifications issued by the Government.

**iii.** The CSGL account holders, who are regulated by the Bank, shall follow guidelines on 'Know Your Customer' (KYC) Direction, 2016 issued by the Bank and as amended from time to time, in respect of their constituents. Other CSGL account holders shall follow the relevant guidelines on KYC issued by their respective regulators. The gilt accounts opened with a CSGL holder shall have unique numbers.

**iv.** A constituent is permitted to open one or more gilt account with any of the CSGL account holders. This permission will be subject to the relevant guidelines/instructions on their operations, if any, issued by the constituent's respective regulators.

**v.** The transfer of securities from/to a CSGL account shall be on Delivery versus Payment basis, except as provided in paragraph vi. of the guidelines.

vi. Value Free transfer - For the purpose of these Guidelines, Value Free Transfers (VFT) of the securities shall mean transfer of securities from one CSGL account to another CSGL or SGL account without corresponding payment leg in the books of RBI. Value Free Transfers of securities shall be effected by CSGL holders in the manner as may be prescribed by the Bank.

**vii.** The CSGL account holders must have appropriate Information Technology (IT) infrastructure to maintain accounts and put through deals on behalf of their constituents with adequate contingency/back-up plan to ensure business continuity. The IT infrastructure shall be subject to Information System (IS) audit by certified professionals every year and any observations made by them shall be immediately complied with.

**viii.** The CSGL account holder shall execute with their constituents an agreement, which shall categorically mention the circumstances under which they will accept/release securities and accept/release funds on behalf of the constituents, as also the rights and obligations of the constituents, and the grievance redressal mechanism available for the constituents.

**ix.** The CSGL account holders shall ensure that deals/transactions pertaining to constituents are put through according to the instructions of the constituents concerned and appropriate records are maintained for such instructions received from their constituents. The CSGL account holder shall refrain from setting off Government securities in the CSGL account or otherwise deal with the Government securities to extinguish partly or fully any amounts due to it from the constituents without a written consent from the constituents.

**x.** The CSGL account holder shall be accountable/responsible for the movement of Government securities from/to the CSGL account and shall provide system generated audit trail, whenever called for by the constituent or the Bank.

**xi.** The CSGL account holders shall issue/post a deal slip for each buy/sell transaction put through on behalf of the constituents concerned on the transaction date itself mentioning therein the details of the deal, such as, ISIN, instrument nomenclature, buy/sell quantity, buy/sell price, service charges, etc. Further, the CSGL account holder shall send statements mentioning the outstanding/transaction details of Government securities to each constituent as per the agreement as also at the specific request of the constituents and obtain a balance confirmation certificate from the constituents.

**xii.** The CSGL account holder shall credit the constituents' fund account with the due amount of interest/redemption proceeds on due date itself and maintain appropriate record of the same for verification.

**xiii.** The CSGL account holder shall be responsible for settlement of each deal put through on behalf of the constituents and any shortfall in securities/funds will be treated as a case of SGL deal bouncing against the CSGL account holder. Further, the CSGL account holder, before submitting any deals on behalf of the constituents, shall ensure that the particular constituent is eligible, as per the latest guidelines issued by the Bank, for entering into such

transactions/deals.

**xiv.** The CSGL account holders shall have a well-documented operational manual, duly approved by their Board, highlighting the roles/responsibilities of the dealers/mid-office/back-office and the resultant checks and balances to ensure proper dealings on behalf of the constituents so as to mitigate any risk arising out of such custodial business to the CSGL account holder as also to the constituents.

**xv.** The CSGL account holders shall ensure daily reconciliation of outstanding balances in their CSGL account as per the E-kuber data vis-à-vis the constituent-wise holding details maintained by them. Any mismatch in the outstanding balances shall be immediately brought to the notice of E-kuber Helpdesk, Department of Information Technology (DIT) and Public Debt Office (PDO), Mumbai to ensure reconciliation of balances before next day-end.

**xvi.** The CSGL account holders must put the operations of their CSGL account, as also the transactions in the gilt accounts of their constituents, under the purview of their Concurrent Auditors, who shall verify and comment, inter alia, upon the following aspects of CSGL account transactions:

- a) Completion of documents for opening the constituent account;
- b) Authorisation of each transaction in the CSGL account by the constituent concerned and that the securities bought/sold have been credited/debited to the gilt account on due date;
- c) Issuance of debit/credit advices on time to the constituents for each transaction put through on their behalf;
- d) Reconciliation of the outstanding balances in the CSGL account vis-à-vis the constituent-wise holding details on a daily basis;
- e) Receipt of balance confirmation certificates from the constituents on half-yearly basis;
- f) Crediting of interest/redemption proceeds to the constituents' fund account on due date; and
- g) Ensuring the eligibility of the constituent, as per latest guidelines issued by the Bank, to put through the deal/transaction and that the deal price is in line with the prevailing market rates.

**xvii.** The CSGL account holders shall put up the information system audit report as also the concurrent auditor's report in respect of CSGL account to the Audit Committee of the Board on a quarterly basis or at more frequent intervals. The CSGL account holder may submit a quarterly certificate, confirming that the compliance of the audit observations, as also daily reconciliation exercise carried out by them, has been placed before the Audit Committee of the Board, to PDO, Mumbai (<u>pdomumbai@rbi.org.in</u>).

**xviii.** The Bank may at any time direct the CSGL Account holder to furnish to the Bank, in such form, at such intervals and within such time, such statements, information or particulars relating to CSGL account or connected with transactions in the CSGL account.

**xix.** The CSGL account holder shall submit constituent-wise holding details electronically, as per Annex to the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Internal Debt Management Department, Central Office Building, 23rd Floor, Fort, Mumbai - 400001 (email id: cgmidmd@rbi.org.in) on a quarterly basis as on March 31, June 30, September 30 & December 31, by the 1st week of the following month.

**xx.** The CSGL account holders shall furnish copies of half-yearly review reports, as on March 31 and September 30 each year, of investments in the CSGL account on behalf of constituents, including brokers, to the Internal Debt Management Department of the Bank.

**xxi.** The CSGL holders shall abide by these Guidelines on a continuous basis. Any failure to do so will attract appropriate action by the Bank including application of penal provisions under Section 30 of the Act. A declaration to this effect shall be submitted to PDO, Mumbai on an annual basis.

**xxii.** Notwithstanding anything contained in these guidelines, the Reserve Bank reserves the right to take any action including temporary or permanent debarment of the CSGL account holder, as mentioned in Section 27 of the Act, in addition to inviting the penalties as provided in Section 30 of the Act for violation of the terms and conditions of the opening and maintenance of CSGL accounts or misuse of the CSGL facility by the entity concerned or breach of the operational guidelines issued from time to time.

**xxiii.** The Reserve Bank, on being satisfied that it is necessary to do so, may exempt any CSGL account holder or class of CSGL account holders either generally or for such period as may be specified, from any or all of the provisions of these Guidelines, subject to such terms or conditions or limitations or restrictions as it may think fit and proper to impose, in the interest of public or financial system of the country.

**xxiv.** These guidelines are issued in supersession of the earlier guidelines issued by the Bank vide **Notification No.** 1078 dated October 29, 2018 (published in The Gazette of India – Extraordinary – Part III – Section 4).

R. SUBRAMANIAN, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./292/2021-22]

Annex

	Statement on Ownership Pattern of Government Securities Held in the Gilt Accounts as on Quarter ended								
Nam	Name of the CSGL account holder:								
CSG	CSGL account number:								
Sr. No. 1.	Name of Constituent	Investor Group@	Type of Security^	ISIN	Face Value				
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

@ Commercial Banks/ State or Dist. Central Co-op Banks/ Urban Co-operative Banks/ Mutual Funds/ Insurance Companies/ Financial Institutions/ Corporates/ HUF/ Individuals/ FPIs/ Provident Funds/ Others.

^ Central Government Dated Security/ T-Bills/State Government Securities/Others (please specify).